फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री मांगीदेवी विपक्षी गेरीलाल

रस्म मुकदमा बोद- (88-188) पत्रावली संख्या 285/11 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	12/03/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वारिस कायमी हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाकर वास्ते वारिस कायमी पत्रावली दिनांक 06/05/19 को पेश हो।	
	06/5/19 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] आलाप्त प्रतिवादी / [illegible] पीठासीन-अधिकारी [illegible] मिटिंग में पधारें है। पत्रावली [illegible] पालना में दिनांक 25.06.19 को पेश हो	
	25/6/19 पत्रावली पेश हुई। वादीयान अधिवक्ता वादीया की आवाजे सिलवाई गई। अनु. 3 मता अनु. 2 पर वाद वादीया अदम हाजरी अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर कम्प्यूटर से [illegible] ही निर्णय सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner